भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्या : 143

उत्तर देने की तारीख : 16 दिसम्‍बर, 2013

**शोध एवं श्रेणीकरण का मूल्यांकन संबंधी ढांचा**

**\*143. श्री टी॰ एम॰ सेल्वागणपतिः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न संस्थाओं, विभागों और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु शोध तथा श्रेणीकरण का मूल्यांकन संबंधी ढांचा तैयार किए जाने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति देश के सर्वाधिक प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं तथा सबसे अधिक प्रभावी शोध संस्थाओं को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता संबंधी एक ढांचा भी विकसित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री एम. एम. पल्‍लम राजू)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**शोध एवं श्रेणीकरण के मूल्यांकन संबंधी ढांचे के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री टी॰ एम॰ सेल्वागणपति द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 143 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण।**

(क) से (ग): सरकार ने अकादमिक संस्‍थाओं के शोध निष्‍पादन में तेजी लाने के लिए सितंबर, 2013 में प्रो. के. विजय राघवन की अध्‍यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रति वेबसाइट http://mhrd.gov.in पर उपलब्‍ध है। समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल है:-

1. कमियों की पहचान करने तथा शोध निधियन में अधिक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के विचार से अनुसंधान निधियन का मौजूदा प्रबंधन - शोध सुविधाओं के लिए कोर फंडिंग तथा अकादमिक संस्‍थाओं में अवसंरचना एवं परियोजना निधियन दोनों की समीक्षा करना;
2. अनुसंधान संसाधनों का इष्‍टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अकादमिक संस्‍थाओं को शोध सहायता के आबंटन में विशेष दृष्टिकोण अपनाने हेतु रणनीति तैयार करना;
3. शोध में उत्‍कृष्‍टता फ्रेमवर्क विकसित करना, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि संवर्धित निधियन सहायता द्वारा देश के सबसे प्रतिभावान शोधार्थियों तथा सबसे प्रभावी शोध संस्‍थाओं एवं विभागों को सहायता प्रदान की जाए तथा यह भी सुनिश्चित करना कि देश के कुछ संस्‍थान शोध निष्‍पादन में वैश्विक बेंचमार्कों को प्राप्‍त करे;
4. संस्‍थाओं, विभागों, केन्‍द्रों एवं व्‍यक्तिगत तौर पर शोधार्थियों के बीच स्‍वस्‍थ प्रतिस्‍पर्धा विकसित करने की दृष्टि से शोध एवं श्रेणीकरण के मूल्‍यांकन हेतु फ्रेमवर्क सृजित करना।

इस समिति की पहली बैठक का आयोजन दिनांक 21 अक्‍तूबर, 2013 को पहले ही किया जा चुका है। बैठक के कार्यवृत्‍त की प्रति वेबसाइट http://mhrd.gov.in पर उपलब्‍ध है।

\*\*\*\*\*